डिस्कलेमर

अंतरिम आदेश संख्या 11/2024-25 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

आदेश संख्या 11/2024-25

ऐरा कार्यालय,
तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख: 30.09.2024

सेवा	**: कार्गो हैंडिलिंग सेवाएं (सीएचएस)**
सेवा प्रदाता	**: जीएसईसी लिमिटेड**
हवाईअड्डा	**: सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद**

विषय: जीएसईसी लिमिटेड के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (एसवीपीआईए), अहमदाबाद में नाशवान और सामान्य कार्गो केन्द्र (सीपीसी) के संबंध में तदर्थ टैरिफ का निर्धारण।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएआईसीएल), गुजरात सरकार की इकाई ने 08.11.2023 को एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) के साथ सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (एसवीपीआईए), अहमदाबाद स्थित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में नाशवान और सामान्य कार्गो (सीपीसी) के लिए केंद्र की स्थापना, प्रचालन, प्रबंधन और रखरखाव (ओएम एंड एम) करने के लिए पांच वर्ष की अवधि अर्थात 01.04.2023 से 31.03.2028 तक के लिए करार किया। अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लिमिटेड (एआईएएल) द्वारा एसवीपीआईए, अहमदाबाद को अपने अधीन लेने के बाद भी ये अधिकार एएआईसीएलएएस के पास विशेष रूप से बने रहेंगे, क्योंकि कार्गो कॉम्प्लेक्स एएआईसीएलएएस के नियंत्रण में एक अलग क्षेत्र से प्रचालित किया जा रहा है।

<u>सेवा प्रदाता की प्रस्तुति :</u>

2. जीएसईसी लिमिटेड ने दिनांक 15.06.2024 के पत्र के माध्यम से बताया कि एसवीपीआईए, अहमदाबाद में नाशवान और सामान्य कार्गो केंद्र का प्रचालन कर रहे पूर्व प्रचालक मैसर्स कार्गो सर्विस सेंटर (सीएससी) ने जून, 2023 में अपने प्रचालन बंद कर दिए। इस कारण से, जीएआईसीएल ने जुलाई, 2023 में एसवीपीआईए, अहमदाबाद में नाशवान और सामान्य कार्गो केंद्र के प्रचालन, रखरखाव और प्रबंधन (ओएम एंड एम) के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए नई एजेंसी नियुक्त करने के लिए एक नई निविदा जारी की और आईएसपी (जीएसईसी लिमिटेड) सफल बोलीदाता के रूप में सामने आया।

तदनुसार, एसवीपीआईए, अहमदाबाद में नाशवान और सामान्य कार्गो (सीपीसी) केन्द्र के ओएम एंड एम के लिए 29.04.2024 को जीएआईसीएल और जीएसईसी लिमिटेड के बीच 09.10.2023 से 31.03.2026 तक की अवधि के लिए करार किया गया।

3. आईएसपी ने यह भी सूचित किया कि मौजूदा कार्गो हैंडलिंग सुविधा का नवीनीकरण चल रहा है और शीघ्र ही इसके पूर्ण होने की आशा है। आईएसपी ने यह भी बताया कि उनके प्रस्तावित प्रचालनों के लिए आवश्यक विनियामक अनुमोदन भी शीघ्र मिलने की उम्मीद है। तदनुसार, जीएसईसी लिमिटेड ने प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह वाणिज्यिक प्रचालन शुरू होने की तारीख से 6 माह की अवधि के लिए या ऐरा द्वारा नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक तदर्थ आधार पर उसी टैरिफ के लिए अनुमोदन प्रदान करें, जो ऐरा द्वारा मैसर्स सीएससी (सीपीसी का प्रचालन कर रही पूर्ववर्ती एजेंसी) के लिए दिनांक 14.11.2018 के टैरिफ आदेश संख्या 27/2018-19 द्वारा अनुमोदित की गई थी।

<u>जीएसईसी की प्रस्तुति की प्राधिकरण द्वारा जांच</u>

4. प्राधिकरण नोट करता है कि जीएसईसी लिमिटेड (आईएसपी) को एसवीपीआईए, अहमदाबाद में नाशवान और सामान्य कार्गो (सीपीसी) केंद्र के प्रचालन और प्रबंधन के लिए जीएआईसीएल द्वारा नियुक्त किया गया है और नए सेवा प्रदाता आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद शीघ्र ही अपने वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ कर देंगे।

5. आईएसपी ने प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से 6 माह की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ के तौर पर उसी टैरिफ को मान ले जो ऐरा द्वारा एसवीपीआईए, अहमदाबाद में मैसर्स सीएससी (पूर्ववर्ती एजेंसी) के लिए दिनांक 14.11.2018 के टैरिफ आदेश संख्या 27/2018-19 के अंतर्गत अनुमोदित की गई थी।

6. प्राधिकरण ने जीएसईसी लिमिटेड के अनुरोध की जांच करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्टीकरण/अतिरिक्त विवरण मांगा:

क) एसवीपीआईए, अहमदाबाद में इसके प्रस्तावित कार्गो प्रचालनों के लिए विनियमित एजेंट के रूप में जीएसईसी लिमिटेड के कामकाज के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) का अनुमोदन।

ख) 29 अप्रैल, 2024 को जीएआईसीएल के साथ किए गए रियायत करार की प्रति

ग) जीएसईसी लिमिटेड द्वारा एसवीपीआईए, अहमदाबाद में नाशवान और सामान्य कार्गो प्रचालन प्रारंभ करने की संभावित तारीख

घ) जीएसईसी लिमिटेड द्वारा एयर फ्रेट स्टेशन (एएफएस) के लिए टैरिफ दरों के साथ-साथ एसवीपीआईए, अहमदाबाद में प्रदान की जाने वाली सेवाएं।

7. ऐरा के प्रश्नों के जवाब में, जीएसईसी लिमिटेड ने दिनांक 01.08.2024 की ईमेल द्वारा जीएआईसीएल और जीएसईसी लिमिटेड के बीच 24.04.2024 को किए गए करार की प्रति प्रस्तुत की, जो स्वीकृति पत्र की तारीख अर्थात 09.10.2023 से 31.03.2026 तक प्रभावी है। यह नोट किया गया कि उपर्युक्त करार को दोनों पक्षकारों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों एवं निबंधनों पर आगे दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

आईएसपी ने बीसीएएस द्वारा दिनांक 08.06.2022 को जारी सुरक्षा अनुमति की प्रति भी प्रस्तुत की, जो 08.06.2022 से पांच वर्ष की अवधि या हवाईअड्डा प्रचालक के साथ अनुबंध की वैधता, जो भी पहले हो, तक के लिए वैध है।

8. एसवीपीआईए, अहमदाबाद में आईएसपी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में, आईएसपी ने कहा कि वे सिटी-साइड और एयर-साइड दोनों ओर, नाशवान_और सामान्य कार्गो के संबंध में केवल निर्यात कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करेंगे। आईएसपी ने यह भी बताया कि उनके वाणिज्यिक प्रचालन सितंबर, 2024 के दौरान प्रारंभ होने की संभावना है।

9. ऐरा ने दिनांक 08.08.2024 की ईमेल के माध्यम से एएफएस कार्गो और उनके प्रभारों के लिए प्रदान की जाने वाली टैरिफ दरों तथा सेवाओं पर और स्पष्टीकरण मांगें। उसके जवाब में जीएसईसी लिमिटेड ने दिनांक 13.08.2024 की ईमेल के माध्यम से अनुमोदित एयर फ्रेट स्टेशन (एएफएस) से संबंधित कार्गो पर लागू रियायती टर्मिनल स्टोरेज प्रोसेसिंग (टीएसपी) प्रभारों को शामिल करने के बाद संशोधित टैरिफ दर कार्ड प्रस्तुत किया।

10. इसके अतिरिक्त, आईएसपी ने सीमा शुल्क विभाग द्वारा दिनांक 06.08.2024 के पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की, जिसमें जीएआईसीएल के पक्ष में एसवीपीआईए, अहमदाबाद में नाशवान होने वाले और सामान्य कार्गो केंद्र के संबंध में मौजूदा सीमा शुल्क संरक्षकता को अगले 5 वर्ष (पत्र जारी होने की तारीख अर्थात 06.08.2024 से) की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। ।

दिनांक 06.08.2024 के सीमा शुल्क संबंधी उपर्युक्त पत्र में एसवीपीआईए, अहमदाबाद में सीपीसी और सामान्य कार्गो के प्रचालन, रख-रखाव और प्रबंधन (ओएम एंड एम) के लिए जीएआईसीएल की ओर से जीएसईसी लिमिटेड की नियुक्ति की भी अनुमति दी गई है।

11. प्राधिकरण नोट करता है कि नाशवान और सामान्य कार्गो केंद्र में प्रदान की जाने वाली निर्यात कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए जीएसईसी लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित तदर्थ टैरिफ, वही टैरिफ (एएफएस कार्गो के प्रभार से भिन्न) है, जो ऐरा द्वारा दिनांक 14.11.2018 के टैरिफ आदेश संख्या 27/2018-19 के माध्यम से आदेश जारी होने की तारीख (अर्थात 14.11.2018 से 31.03.2021 तक) से सीएससी, अहमदाबाद के लिए अनुमोदित की गई थी। इसके बाद, 31.03.2021 को प्रचलित टैरिफ दरें (सीएससी के लिए लागू) ऐरा द्वारा तदर्थ आधार पर जीएआईसीएल के साथ सीएससी के रियायत करार की वैधता की समाप्ति (अर्थात जून, 2023) तक समय-समय पर बढ़ाई गई।

12. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और जीएसईसी लिमिटेड को नाशवान और सामान्य कार्गो केंद्र, एसवीपीआईए, अहमदाबाद में इसके वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने में सक्षम बनाने के लिए, प्राधिकरण अंतरिम उपाय के तौर पर 31.03.2025 तक, या आईएसपी के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक (एमवाईटीपी प्रस्तुत करने पर), जो भी पहले हो, नाशवान और सामान्य कार्गो केंद्र, एसवीपीआईए, अहमदाबाद में स्वतंत्र सेवा प्रदाता की प्रस्तावित निर्यात कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में इसके लिए तदर्थ टैरिफ मानने (सीएससी, अहमदाबाद के लिए दिनांक 14.11.2018 के आदेश संख्या 27/2018-19 के अंतर्गत ऐरा द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर, जो जून, 2023 तक तदर्थ आधार पर जारी रही) का निर्णय लेता है।

एसईसी लिमिटेड के लिए तदर्थ टैरिफ एसवीपीआईए, अहमदाबाद में आईएसपी द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ होने की तारीख से प्रभावी होगी।

13. जीएसईसी लिमिटेड प्राधिकरण को नाशवान और सामान्य कार्गो केंद्र, एसवीपीआईए, अहमदाबाद के संबंध में प्रचालन प्रारंभ करने की वास्तविक तारीख (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख) की सूचना देगा। इसके अतिरिक्त आईएसपी, रियायती करार की शेष अवधि के लिए, नियमित टैरिफ निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण को वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने के एक माह के भीतर, आवश्यक सहायक दस्तावेज़ों के साथ निर्धारित प्रारूप में एमवाईटीपी प्रस्तुत करेगा।

आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :

(i) जीएसईसी लिमिटेड को एसवीपीआईए, अहमदाबाद में नाशवान और सामान्य कार्गो केन्द्र (सीपीसी) में कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में संलग्नक -I के अनुसार तदर्थ आधार पर टैरिफ लगाने और वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) इसमें अनुमोदित टैरिफ जीएसईसी लिमिटेड द्वारा एसवीपीआईए, अहमदाबाद में वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से 31.03.2025 तक या प्राधिकरण द्वारा आईएसपी के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी होगी।

(iii) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूले जाने वाले अधिकतम प्रभार होंगे। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाए।

(iv) तदर्थ टैरिफ में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(v) स्वतंत्र सेवा प्रदाता नियमित टैरिफ निर्धारित करने के लिए अपने वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से एक माह के भीतर एमवाईटीपी प्रस्तुत करेगा।

(vi) हवाई अड्डा प्रचालक जीएसईसी लिमिटेड एसवीपीआईए, अहमदाबाद द्वारा प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में अनुमोदित टैरिफ सभी हितधारकों की जानकारी के लिए अपने अधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा।

(vii) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

श्री समीर मंकड,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं निदेशक,
जीएसईसी लिमिटेड, द्वितीय तल, गुजरात चैम्बर, बिल्डिंग,
आश्रम रोड़, अहमदाबाद-380009

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110003
2) प्रबंध निदेशक, गुजरात एग्रो इंडीस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जीएआईसीएल), सिविल सप्लाई बिल्डिंग, भूतल, सेक्टर-10, सीएच रोड़, गांधीनगर, गुजरात-382010
3) सीएओ, सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, हंसोल, अहमदाबाद- गुजरात-380003